उपायुक्त कार्यालय, साहेबगंज
{जिला आपूर्ति शाखा}
अल्पकालीन पुर्नः निविदा सूचना

वित्तीय वर्ष 2017–2018 एवं 2018–2019 में अंत्योदय एवं पुर्वविक्ता प्राप्त गृहस्थ परिवार के सदस्यों का राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत खाद्यान्न का प्रखण्ड स्तरीय राज्य खाद्य निगम के गोदाम से डोर स्टेप डिलेवरी के तहत् जन वितरण प्रणाली के दुकान तक परिवहन एवं हथालन कर आपूर्ति करने हेतु परिवहन अभिकर्त्ता से एतद् द्वारा प्रखण्डवार के लिए निविदा आमंत्रित किया गया था, परन्तु साहेबगंज शहर, साहेबगंज प्रखंड, बोरियो प्रखंड, मंडरो प्रखंड, पतना प्रखंड एवं तालझारी प्रखंड का आर्हत्ता पूरा नहीं होने तथा अन्य प्रखंडों में दर का एकरूपता होने के कारण पुर्नः निविदा आमंत्रित किया जाता है। इच्छुक निविदादाता निविदा दिनांक 18.../03/2017 को 01.00 बजे अपराह्न तक मुहरबन्द लिफाफे में समाहरणालय साहेबगंज स्थित जिला आपूर्ति शाखा, साहेबगंज में जमा की जा सकती है। निर्धारित तिथि एवं समय के बाद प्राप्त निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

निविदा खोलते समय निविदादाता या उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति अनिवार्य है। निविदा दाता को तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा दो अलग–अलग लिफाफे में अलग–अलग अंकित कर दोनों एक बड़ा लिफाफा में भर कर जमा करना होगा। तकनीकी निविदा के सभी शर्त्तों को पूरा करने पर ही वित्तीय निविदा के लिफाफे को खोला जायेगा।

उक्त योजनाओं के तहत् परिवहन किये जाने वाले खाद्यान्न चावल/गेहूँ की पुर्नः निविदा आमंत्रित प्रखण्ड निम्नवत् हैः–

क्र0	शहर/प्रखण्ड का नाम	ज0वि0 प्र0वि0 सं0	अंत्योदय खाद्यान्न की मात्रा		पुर्वविक्ता प्राप्त गृहस्थ परिवार के सदस्यों खाद्यान्न की मात्रा		चीनी/नमक की मात्रा		प्रखण्ड गोदामो से दुकान की दूरी				
			चावल क्वींटल में	गेहूँ क्वींटल में	चावल क्वींटल में	गेहूँ क्वींटल में	चीनी क्वींटल में	नमक क्वींटल में	0–5	5–10	10–15	15–20	20–25
1	साहेबगंज शहर	65	216.30	144.20	1610.07	1073.38	117.77	135.01	42	23	–	–	–
2	साहेबगंज प्रखण्ड	53	631.40	–	2812.25	–	118.67	122.71	04	19	20	10	–
3	बोरियो प्रखंड	86	1593.55	–	3204.70	–	187.58	159.72	10	22	20	25	09
4	मंडरो प्रखण्ड	77	1042.65	–	2683.10	–	25.29	140.91	17	18	15	13	14
6	बरहरवा प्रखण्ड	125	1536.78	1024.52	3730.41	2486.94	327.34	306.73	26	30	25	26	18
7	पतना प्रखण्ड	63	769.94	349.71	2290.42	582.63	149.20	146.31	14	11	12	12	14
9	राजमहल शहर	18	136.92	91.28	444.45	296.16	35.72	37.31	17	–	–	–	–
11	तालझारी प्रखण्ड	62	1347.50	–	2312.90	–	135.43	123.68	15	18	10	12	07

उक्त के अलावा यदि कोई अन्य मदों पर खद्यान्न का आवंटन सरकार द्वारा प्राप्त हो तो इसका भी परिवहन एवं हथालन करना होगा। उक्त मात्रा में कमी या वृद्धि हो सकती है। निविदा से संबंधित पूरी जानकारी जिला आपूर्ति पदाधिकारी, साहेबगंज के कार्यालय में तथा साहेबगंज जिला के वेबसाईट www.sahibganj.nic.in के Tender सेक्शन पर देखा जा सकता है।

उपायुक्त,
साहेबगंज।

उपायुक्त कार्यालय, साहेबगंज
{जिला आपूर्ति शाखा}

अल्पकालीन पुर्नः निविदा सूचना

वित्तीय वर्ष 2017–18 एवं 2018–2019 के लिए डोर स्टेप डिलिवरी हेतु नियम एवं शर्ते निम्नलिखित है:–

1. जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को उपावंटित खाद्यान्न (चावल) को झारखंड राज्य खाद्य निगम के प्रखंड स्तरीय गोदाम से उठाव कर संबंधित जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं की दुकान तक पहुँचा कर आपूर्ति करना है। इस हेतु परिवहन व्यय राज्य सरकार के द्वारा अधिकतम 40 (चालीस) रूपये प्रति क्वीं0 हथालन एवं परिवहन सहित के दर से निर्धारित है।

2. निविदादाता अपना नाम, पिता/पति का नाम, वर्तामान पता/स्थायी पता, व्यवसाय पता का उल्लेख अपने आवेदन पत्र में करेगें।

3. निविदादाता जन वितरण प्रणाली विक्रेता/किरासन तेल खुदरा बिक्रेता अनुज्ञप्तिधारी नहीं होना चाहिए।

4. P.W.D. कोड लागू होगा।

5. परिवहन व्यय का भुगतान राज्य सरकार से आवंटन उपलब्ध होने के बाद किया जायेगा।

6. निविदादाता को अपने गृह जिला के उपायुक्त/जिलाधिकारी से निर्गत निवास एवं चरित्र प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। साथ ही निविदादाता को अपने एवं परिवार के सदस्यों पर 7 ई0सी0 का मुकदमा पूर्व में दायर हुआ है या नहीं इस आशय का शपथ पत्र (पब्लिक नॉटरी से) संलग्न करना होगा। जिसमें यह उल्लेख होगा कि निविदादाता पर किसी प्रकार का अपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं है।

7. निविदादाता को अपने आयकर क्लीयरेन्स से संबंधित प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।

8. वैसे परिवहन अभिकर्त्ता को जिन्हें किसी सरकारी विभाग या प्रतिष्ठान द्वारा काली सूची में दर्ज किया गया हो या किसी न्यायालय के द्वारा किसी अपराधी मामले में दोषी करार दिया गया हो उन्हें परिवहन अभिकर्त्ता के रूप में नियुक्त नहीं किया जायेगा।

9. टेकनिकल एवं फाइनेसियल बीड अलग–अलग मोहरबन्द लिफाफे देने होगें। उपर्युक्त दोंनो लिफाफे को एक बड़े लिफाफे में बन्द कर देना होगा।

10. प्रखंडवार निविदा के साथ (20,000=00) बीस हजार रूपये का बैंक ड्राफ्ट अग्रधन के रूप में उपायुक्त, साहेबगंज के नाम से जो भारतीय स्टेट बैंक साहेबगंज में भुगतेय होगा, संलग्न करना आवश्यक है। निविदा समाप्ति के पश्चात् स्वीकृत निविदादाता को छोड़कर अन्य को अग्रधन वापस कर दिया जायेगा।

11. निविदादाता को प्रखंडवार के लिए निविदा अलग–अलग लिफाफे में देना होगा।

12. निविदादाता को प्रत्येक माह जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित समय सीमा के अन्दर खाद्यान्न का शतप्रतिशत का मात्रा का परिवहन करना होगा। यदि निविदादाता को एक प्रखंड में आवंटित कर दिया जाता है तो उसे दूसरे प्रखंड के लिए आवंटित नहीं किया जायेगा तथा एक निविदादाता सभी प्रखंड में निविदा डाल सकते है एवं उस प्रखंड के लिए प्राप्त L1 निविदा की दर पर द्वितीय निविदादाता को आवंटित कर दिया जायेगा।

13. निविदा टर्न के आधार पर हो अर्थात परिवहन, पारगमन क्षति, बीमा दर, आक्टाई सेवाकार अन्य कोई कर/शूल्क, अन्यान्य व्यय सहित होना चाहिये। निविदादाता से परिवहन के दौरान खाद्यान्न की क्षति की वसुली क्षति की मात्रा को बाजार दर पर तथा 20 प्रतिशत जुर्माना सहित उनके विपत्र से एकमुश्त में किया जायेगा। इस वित्तीय वर्ष 2017–2018 में एक बार दर निर्धारित हो जाने पर किसी भी परिस्थिति में बढ़ोतरी संभव नहीं होंगी।

लगातार....................2

डोर स्टेप डिलेवेरी का प्रमाण पत्र" पंचायत स्तर के निगरानी समिति/संबंधित वार्ड सदस्य या वार्ड पार्षद/मुखिया से प्राप्त कर चयनित परिवहन–सह–हथालन अभिकर्त्ता को अपने द्वारा समर्पित किए जाने वाले विपत्र के साथ संलग्न करना होगा जिसमें खाद्यान्न की मात्रा, वाहन संख्या एवं तिथि आवश्यक रूप से उल्लेखित हो। प्रमाण पत्र के बिना किसी विपत्र का भुगतान नहीं होगा।

15. जन वितरण प्रणाली दुकानदारों को खाद्यान्न उपलब्ध कराते समय खाद्यान्न का वजन करने के लिए कांटा/तौलने की मानक व्यवस्था करनी होगी।

16. फाइनेसियल बीड एवं टेकनिकल बीड अलग–अलग लिफाफा में देना होगा। टेकनिकल बीड योग्य पाये जाने पर ही फाइनेसियल बीड वाले लिफाफा खोला जायेगा। दोनों लिफाफा को एक अन्य बड़े सिल बन्द लिफाफा में देना होगा। निर्धारित तिथि एवं समय के बाद प्राप्त निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा तथा उस निविदा को अमान्य कर दिया जायेगा।

17. मोहर बन्द निविदा दिनांक 18/03/2017 को ही 4:00 बजे उपायुक्त महोदय के कार्यालय कक्ष में निविदा समिति के समक्ष खोला जायेगा।

18. निविदा खोलने के समय सभी निविदादाता या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि को उपस्थिति रहना अनिवार्य है।

19. किसी भी निविदा को स्वीकृत या अस्वीकृत करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरी को होगा।

20. निविदादाता निविदा में दिये जाने वाले दर का आधार बतायेंगे अर्थात परिवहन के दौरान भिन्न प्रकार के होने वाले खर्च का एक संक्षिप्त व्योरा देगें जिससे की यह स्पष्ट हो सके कि उनके द्वारा निविदा दर वास्तविक है या नहीं। इस व्यौरा के बिना निविदा को अस्वीकृत किया जा सकता है।

21. निविदादाता के द्वारा प्रत्येक प्रखंड के लिए परिवहन के प्रयोग में लाये जाने वाले कम से कम 10 (दस) वाहन 407 ट्रक, ट्रेक्टर (ट्रोली सहित), पी–कप भेन) होने संबंधी प्राधिकार पत्र के साथ निबंधन पंजी/इन्सोरेन्स कार्ड पेपर, टैक्स टोकन,फिटनेस, परमिट एवं चालक अनुज्ञप्ति व्यावसयिक का प्रमाण पत्र संलग्न कर साफ–साफ अभिप्रमाणित छायाप्रति जो पढ़ने योग हो।

22. निविदादाता को खाद्यान्न को लौडिंग एवं अनलौडिंग (प्रखंड गोदाम एवं डीलर के दुकान पर) स्वंय करना होगा इसके लिए अलग से कोई भुगतान नहीं किया जायेगा।

23. चयनित निविदादाता द्वारा खाद्यान्न के परिवहन के क्रम में किसी भी तरह के अनियमितता पाये जाने/किये जाने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 7 ई0सी0 एवं भारतीय दण्ड संहिता के सुसंगत धारा के तहत् कानूनी कार्रवाई की जायेगी तथा अग्रधन राशि जब्त कर ली जायेगी।

24. सभी वाहनों की ट्रैकिंग जी0पी0एस0 (भी0टी0एस0) सिस्टम लगवाना अनिवार्य होगा जी0पी0एस0 (भी0टी0एस0) ट्रैकिंग विभाग द्वारा किया जाएगा।

ह0/–
उपायुक्त,
साहेबगंज।

ज्ञापांक 202/आ0, साहेबगंज, दिनांक :–23/02/2017

प्रतिलिपि :– जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, साहेबगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि दो स्थानीय समाचार पत्रों के साहेबगंज परिशिष्ट में प्रकाशित करने की कृपा की जाय।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, साहेबगंज को सूचनार्थ प्रेषित।

23/2/17
उपायुक्त,
साहेबगंज।